न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 263/2023
दायर दिनांक :- 29.09.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/352
निर्णय दिनांक :- 18.07.2025

1. सुगन कंवर पत्नी पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. अर्जुनसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
3. किशोरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
4. बचनसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
5. भंवरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
6. नारायणसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
8. कवराजसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
9. हिम्मतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
   (प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अवयस्क जरिये माता बरजूकंवर पत्नी अमरसिंह)
10. गुमानसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
11. जैतसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तह. बाप जिला फलोदी
    (प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अवयस्क जरिये माता स्वरूकंवर पत्नी गुमानसिंह)

—अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :—1. श्री करणीसिंह अधिवक्ता प्रार्थीया
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 334/2 रकबा 9.5020 हैक्टेयर ग्राम अखाधना पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 30.06.2016 को जारी आदेश क्रम संख्या 129 की पालना में दिनांक 15.07.2016 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीया तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 15.07.2016 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो के अनुसार प्रार्थीया द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी के अभाव में फसल की सुरक्षा करना दुभर हो गया है। प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 15.07.2016 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने की कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

18/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

[illegible] पत्र प्रस्तुत होने पर विपक्षीगण [illegible] किया जाकर [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] रेवेन्यू रिकार्ड तहसीलदार बाप से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 9 से 11 की ओर से अधिवक्ता [illegible] ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम अखाधना पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 334/2 रकबा 8.5020 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीया द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 18.07.2016 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम अखाधना पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 334/2 रकबा 8.5020 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढ़ी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीया पैमाईश फर्द दिनांक 18.07.2016 अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने की हकदार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अखाधना पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 334/2 रकबा 8.5020 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गढ़ी मौका फर्द दिनांक 18.07.2016 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गढ़ी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] 18/7/25

([illegible] RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)